फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 29/2022
(Online No. 2022/17)

उनवान

श्री [illegible] पिता [illegible] माली बनाम श्री [illegible] [illegible]

धारा 212 ~~प्रा०पत्र / राजस्व वाद~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10/01/2022	वाद जाँच ~~वाद~~ / ~~प्रार्थना~~ पत्र / ~~इजराय~~ / ~~अपील~~ पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 14/02/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
14/2/22	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 16/2/2022 को पेश हो। [signature] आदेश से रीडर	
16-2-2022	पत्रावली पेश हुयी प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है प्रकरण में निर्णय लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय संलग्न है। प्रकरण नम्बर से कम करें [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – ओम प्रभा, आर0ए0एस

प्रकरण संख्या 29/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

1. अजय पिता जगदीश बाल्दी निवासी ए–14 आर.के. कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज0।
2. सत्यनारायण पिता बालुराम बाल्दी निवासी ए–72 आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा राज0। –प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी लक्ष्मण सर्राफ निवासी 1–डी–3 पुराना हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा राज.।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0। –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

–:निर्णय:–

उपस्थित– श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता प्रार्थीगण दिनांक 16.02.2022

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 473 रकबा 0.0885 हैक्टयर आराजी नम्बर 474 रकबा 0.2908 हैक्टयर आराजी नम्बर 475 रकबा 0.2908 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.6701 हैक्टयर भूमि स्थित है जिनकी पूर्वी भुजा पर दीवार बनी हुई थी। उक्त आराजियात के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 472 स्थित है जिसमें प्रार्थीगण की उक्त आराजियात से लगता हुआ विपक्षी संख्या 01 का भूखण्ड स्थित है। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में विपक्षी संख्या 01 व उसके परिवार वालो ने प्रार्थीगण उक्त आराजियात की पूर्वी भुजा पर प्रार्थीगण की बनी हुई दीवार को गिरा दिया व प्रार्थीगण की उक्त आराजियात की पूर्वी भाग की करीब 4 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा करने व उसे अपने भूखण्ड में अवैध तौर से मिलाने के दुराशय से पीलर बनाने व उसके सहारे तारबंदी करने व उस पर निर्माण करने पर उतारू हो रही है। अगर विपक्षीया को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित व पाबन्द नहीं किया गया तो हम हमारी उक्त 4 बिस्वा भूमि से सदैव के लिये वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षी संख्या 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वह ग्राम बिलियाखुर्द पटवार क्षेत्र हरणीकलां में स्थित प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी नम्बर 473, 474, 475, के पूर्वी भाग में करीब 4 बिस्वा भूमि पर कोई भी बाधा हस्तक्षेप व दखल नहीं करे, न कोई पीलर लगाकर उसके सहारे सहारे तारबंदी करे न ही इस भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य करे और प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी हस्तक्षेप बाधा व दखल न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य से करावे और इस भूमि को अपनी होना बताकर इसे किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे।

विपक्षी संख्या 02 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित व पाबंद कराया जावे कि अगर विपक्षी संख्या 01 उसके भूखण्ड के साथ–साथ हम प्रार्थीगण की आराजियात संख्या 473, 474, 475, के पूर्वी भाग की करीब 4 बिस्वा भूमि का क्षेत्रफल भी अपने भूखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

को होना बताकर उसके विक्रय रहन दान आदि के माध्यम से अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित बिन्दुओं व तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की प्रार्थना की है एवं विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण की पूर्व में बनी दीवार की जगह को छोड़कर अपने भूखण्ड में सीमेंट के खम्भे लगाकर सीमेंट के पाटियों की दीवार बना रखी है, जो कि विपक्षी संख्या 01 की है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 के भूखण्ड पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है एवं न ही सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है न ही किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण की होगी अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जाये।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 01 के जवाब का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। वादग्रस्त ग्राम बिलियाखुर्द की आराजी नम्बर 473, 474, 475 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजी के पूर्वी भाग में करीब 4 बिस्वा भूमि को विपक्षी संख्या 01 अपने भूखण्ड का होना बताकर प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त बाधा व दखल एवं खुर्द–बुर्द विक्रय अन्तरण आदि करने पर उतारू होने से प्रार्थीगण को प्रथमदृष्टया मामला होने एवं सुविधा संन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से और प्रार्थीगण की भूमि में कब्जा करने पर उतारू होने से अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम बिलियाखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवड़ा की आराजी नम्बर 473, 474, 475 के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फेसल शूमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा